भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना–2031 (प्रारूप) तैयार किए जाने की प्रगति एवं कार्ययोजना की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.02.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–संलग्न सूची के अनुसार।

शासन के पत्र दिनांक 02.02.2024 में दिए गये निर्देशों के क्रम में भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों की तैयार की जा रही जी.आई.एस. आधारित महायोजना–2031 (प्रारूप) तैयार किए जाने की प्रगति की समीक्षा अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा की गई। बैठक में गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, उन्नाव–शुक्लागंज, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, खुर्जा एवं बांदा विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश एवं विनियमित क्षेत्र लखीमपुर, हाथरस, ललितपुर, फतेहपुर, गोण्डा, सुल्तानपुर, बहराइच, शाहजहाँपुर, बदायूँ, चन्दौसी, एटा, फर्रूखाबाद–फतेहगढ़, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, हरदोई, जौनपुर, बलिया, सीतापुर, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की जा रही महायोजनाओं की अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। बैठक में अभिकरणवार निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये :–

क्र.सं.	विकास प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र	अद्यतन स्थिति/निर्देश
1.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अवगत कराया गया कि दिनांक 12.02.2024 तक महायोजना प्रारूप उपलब्ध करा दिया जाएगा। निर्देश दिए गए कि उपर्युक्त समयान्तर्गत महायोजना प्रारूप मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
2.	कानपुर विकास प्राधिकरण	निर्देश दिए गए कि महायोजना प्रारूप एक सप्ताह में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
3.	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	निर्देश दिए गए कि महायोजना प्रारूप दिनांक 12.02.2024 तक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
4.	उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	अवगत कराया गया कि यूपीसीडा से डि–नोटिफाई ग्रामों के संबंध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं हो सका है। निर्देश दिए गए कि प्राधिकरण के अन्तर्गत

		वर्तमान में जितने ग्राम हों उनको ही सम्मिलित करते हुए महायोजना (प्रारूप) बोर्ड से अनुमोदित कराकर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।
5.	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	मुजफ्फरनगर महायोजना–2031 (प्रारूप) एवं शामली महायोजना–2031 प्रारूप दिनांक 15.02.2024 तक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
6.	लखीमपुर विनियमित क्षेत्र	निर्देश दिए गए कि महायोजना प्रारूप दिनांक 15.02.2024 तक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
7.	हाथरस विनियमित क्षेत्र	निर्देश दिए गए कि महायोजना प्रारूप दिनांक 15.02.2024 तक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
8.	ललितपुर विनियमित क्षेत्र	अवगत कराया गया कि महायोजना प्रतिवेदन का ड्राफ्ट पुनः तैयार कराया जा रहा है। निर्देश दिए गए कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा सम्बन्धित कन्सल्टेंट से समन्वय कर दिनांक 25.02.2024 तक महायोजना प्रतिवेदन का ड्राफ्ट प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9.	फतेहपुर	अवगत कराया गया कि प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर पुनः सुनवाई की जानी है। निर्देश दिए गए कि दिनांक 01.03.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
10.	गोण्डा	निर्देश दिए गए कि दिनांक 01.03.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
11.	सुल्तानपुर	निर्देश दिए गए कि दिनांक 01.03.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
12.	बहराइच	निर्देश दिए गए कि दिनांक 01.03.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।

Saurabh Sir.-KARYAVARAT 2024

13.	शाहजहाँपुर	निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
14.	बदायूँ	निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
15.	चन्दौसी	निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
16.	एटा	निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
17.	फर्रूखाबाद–फतेहगढ़	निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
18.	इटावा	निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
19.	मैनपुरी	निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
20.	कासगंज	अवगत कराया गया कि कन्सल्टेंट से महायोजना (प्रारूप) की हिन्दी प्रति प्राप्त नहीं हुई है। निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
21.	हरदोई	निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
22.	जौनपुर	निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।
23.	सीतापुर	निर्देश दिए गए कि दिनांक 20.02.2024 तक महायोजना (प्रारूप) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाए।

Saurabh Sir.-KARYAVARAT 2024

2— बैठक में महायोजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के संबंध में भी विचार—विमर्श किया गया। इस संबंध में शासन स्तर से पत्र निर्गत कर समस्त विकास प्राधिकरणों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर विवरण/सूचना प्राप्त किए जाने के संबंध में मत स्थिर किया गयाः—

(1) महायोजना में प्रस्तावित रिंग रोड/बाईपास की लम्बाई—चौड़ाई एवं कुल क्षेत्रफल।

(2) महायोजना में 24 मीटर व उससे अधिक की ट्रंक रोड की लम्बाई—चौड़ाई एवं कुल क्षेत्रफल।

(3) 05 हे0 व उससे से अधिक के क्षेत्रफल वाले हरित क्षेत्र/पार्क का क्षेत्रफल।

अरूण कुमार
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3
संख्या : 300(1)/आठ—3—24—909/2023
लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2024

उक्त कार्यवृत्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
6. बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारीगण।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Arun Kumar
(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों की जी0आई0एस0. बेस्ड महायोजना–2031 (प्रारूप) के संबंध में आहूत बैठक दिनांक 09.02.2024 में उपस्थितिः–

अधिकारी का नाम/पदनाम एवं विभाग

1. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, लखीमपुर, हाथरस, ललितपुर, फतेहपुर, गोण्डा, सुल्तानपुर, बहराइच, शाहजहाँपुर, बदायूँ, चन्दौसी, एटा, फर्रूखाबाद–फतेहगढ़, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, हरदोई, जौनपुर, बलिया एवं सीतापुर, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से)।
2. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, उन्नाव–शुक्लागंज, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, खुर्जा एवं बांदा विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से)।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।

Saurabh Sir.-KARYAVARAT 2024